न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–नीमच, जिला–नीमच

प्ररूप–2
(नियम 3(4)देखिए)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

प्र.क. 53/ब–121/2022–23

दिनांक 12.10.2022

रजिस्ट्रीकरण दिनांक 11.10.2027 तक प्रभावशील

प्रमाणित किया जाता है कि कालोनाइजर जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994) और मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत(कालोनी का विकास)नियम, 2013 के उपबंधों के अधीन आवेदक श्री परशुराम सुविधा गृह निमार्ण सह. समिति मर्या.नीमच द्वारा अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा पिता नंदराम शर्मा, निवासी–52 जवाहर नगर, नीमच को कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है:–

रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्तें

(1) यह रजिस्ट्रीकरण जिले तक सीमित है

(2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाइजर को कालोनी स्थापना से पूर्व देना होगी तथा कालोनाइजर को प्रत्येक कालोनी के विकास अनुमति/विकास कार्यो को प्रांरभ करने के लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी ।

(3) कालोनी का विकास कार्य, भूखण्डों/भवनों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगां, यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए प्रावधान अनुसार प्राप्त की गई हो ।

(4) कॉलोनी/स्थापना विकास हेतु अपेक्षित विधान में अनुमतियों को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विधिवत शुल्क जमा कर संबंधित विभागो से प्राप्त करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा ।

(5) विकसित की जाने वाली कालोनी की प्रस्तावित भूमि म.प्र. नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा आरोपित शर्तो का पालन एवं भू राजस्व संहिता के तहत व्यपवर्तन कराना अनिवार्य होगा ।

(6) कॉलोनी विकास करते समय जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य होगा ।

(7) कॉलोनाईजर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा निपटाने के संबंध में तथा स्ट्रीट लाईट का सौर उर्जा के संचालन एवं छत पर सौर पैनल स्थापित करने आदि की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

(8) उक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

स्थान :– नीमच

दिनांकः– 12.10.2022

अनुविभागीय अधिकारी
उपखण्ड नीमच

Scanned with OKEN Scanner